प्रेषक,

संख्या– /।।(2)/2021–04(01)/2017

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 06 सितम्बर, 2021

विषयः **जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड विण में थरकोट कृत्रिम झील निर्माण की परियोजना की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3295/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27 (योजना), दिनांक 19.10.2020 एवं पत्र संख्या–2063/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27 (राज्य सैक्टर) दिनांक 19.10.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ में जल संवर्धन एवं पेयजल श्रोत विकास हेतु थरकोट झील निर्माण की पुनरीक्षित योजना(घोषणा संख्या–700/2017) पुनरीक्षित लागत रू0 3201.64 लाख(मूल लागत रू0 2973.00 लाख + रू0 228.64 लाख अतिरिक्त लागत) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 112.14 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

(ii) निर्माण सामग्री यथा सीमेण्ट,स्टील एवं प्रयुक्त अन्य सामग्री का Frequency के अनुरूप से N.A.B.L Laboratory से परीक्षण अवश्यक करा लिया जाय।

(iii) आगणन में लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियां तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

(iv) मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगत करायेंगे।

(v) वर्तमान में प्रस्तुत आगणन योजना का प्रथम पुनरीक्षित आगणन है। इसके उपरान्त योजना में अन्य कोई पुनरीक्षण कदापि मान्य नहीं होगा।

(vi) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यों की Drawing and Design सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

क्रमशः–2.....

(vii) तृतीय पक्ष गुणवत्ता का कार्य नियोजन विभाग द्वारा कराया जायेगा। जिसके लिए विभाग / कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ की सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्य–18 बांध / बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण–001–02 अन्य रख रखाव व्यय–01 बांध / बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण / नहर / नलकूप / जल टंकी पुनरोद्धार 4700180510201से स्थानान्तरित–53–बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–421 / XXVII(2) / 2021,दिनांक 29 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–Allotment ID</u>.

भवदीय,

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या–1523/ II(2) / 2021–04(01) / 2017,तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1 / 105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5– राज्य योजना आयोग(नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)
Secretary-Secretary, Irrigation(S025)
HOD-Chief Engineer Irrigation(4801)

आवंटन पत्र संख्या -1523/II(2)/2021-04(01)/2017
अनुदान संख्या-020

आवंटन आई डी-S21100200001
आवंटन पत्र दिनांक-06-OCT-2021

लेखा शीर्षक

4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

18-Construction/Modernization of Dam/Barrage

001-?????? ??? ???????

02-अन्य रख रखाव व्यय

01-बांध/ बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/नहर/ नलकूप/ जल टंकी पुनरोद्धार (4700180510201 से स्थानान्तरित)

Voted

4	7	0	0	1	8	0	0	1	0	2	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	25086000	11214000	0	36300000
योग	25086000	11214000	0	36300000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,12,14,000 (Rupees One Crore Twelve Lacs Fourteen Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER